

प्रारंभिक परीक्षा

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 जारी किए हैं, जिन्हें वन संरक्षण संशोधन नियम (FCA), 2025 भी कहा जाता है।

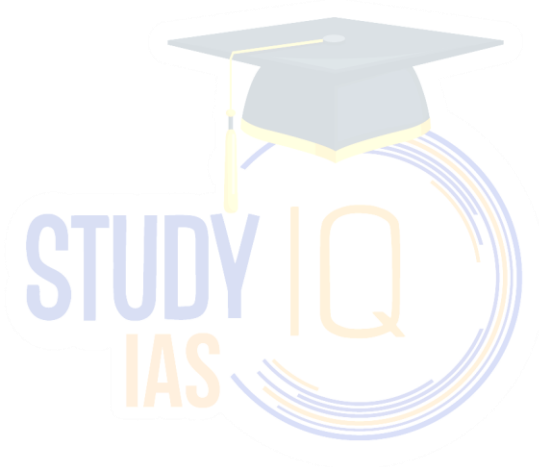
2025 के नियमों के मुख्य प्रावधान -

- **रैखिक परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति:** अब चरण-I (सैद्धांतिक) अनुमोदन के बाद "कार्य अनुमति" प्रदान की जा सकती है।
 - यह संसाधन जुटाने और प्रारंभिक कार्य (सर्वेक्षण, साइट की तैयारी, आदि) शुरू करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें ब्लैक-टॉपिंग, सड़क कंक्रीटीकरण, रेलवे ट्रैक बिछाने, ट्रांसमिशन लाइनों की चार्जिंग आदि को शामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि केंद्र द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।
 - ऐसे कार्यों का दायरा तय करने की शक्ति केन्द्र सरकार के पास है।
- **अनुमोदन की स्पष्ट परिभाषाएँ: चरण-I (सैद्धांतिक अनुमोदन):** विशिष्ट शर्तों के अधीन, वन भूमि के उपयोग के लिए प्रारंभिक अनुमोदन।
 - **चरण-II (अंतिम अनुमोदन):** राज्य सरकार द्वारा चरण-I की शर्तों पर संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रदान किया जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी देती है।
- **विशेष मामलों में ऑफलाइन आवेदन:** कुछ परियोजनाएं ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के बजाय ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
 - यह रक्षा, सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाओं, सार्वजनिक हित या आपातकालीन मामलों के असाधारण मामलों पर लागू होता है।
- **महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष प्रावधान:** महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन (एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुसार) को विशेष छूट मिलेगी।
 - ऐसी परियोजनाओं से क्षतिग्रस्त वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण किया जा सकता है, जो कि परिवर्तित भूमि क्षेत्र से कम से कम दोगुना हो सकता है।
- **प्रतिपूरक वनरोपण (CA) नियम बदले गए:**
 - **पहले:** भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के तहत CA भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाना था।
 - **अब:** यह आवश्यकता वैकल्पिक है। भूमि निम्न में से कोई भी हो सकती है:
 - वन विभाग के पक्ष में वन भूमि के रूप में हस्तांतरित और परिवर्तित, या
 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (या किसी अन्य कानून) के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित।

वन (संरक्षण) अधिनियम का विकास -

- 1980 से पहले: वन राज्य सूची के अंतर्गत थे, जिसके कारण कृषि, खनन और उद्योग के लिए भूमि का व्यापक रूप से उपयोग किया गया।
- 42वां संविधान संशोधन (1976): वनों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र को संरक्षण में बड़ी भूमिका मिली।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: वनों की कटाई को रोकने के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्रीकृत अनुमोदन।
- 1988 संशोधन: निजी संस्थाओं को वन भूमि पट्टे पर देने के विनियमन सहित कड़े नियम लाए गए।
- वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023: पारिस्थितिक संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने पर केंद्रित, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप।

स्रोत: [न्यू इंडियन एक्सप्रेस](#)



नियामक परिसंपत्तियाँ(Regulatory Assets)

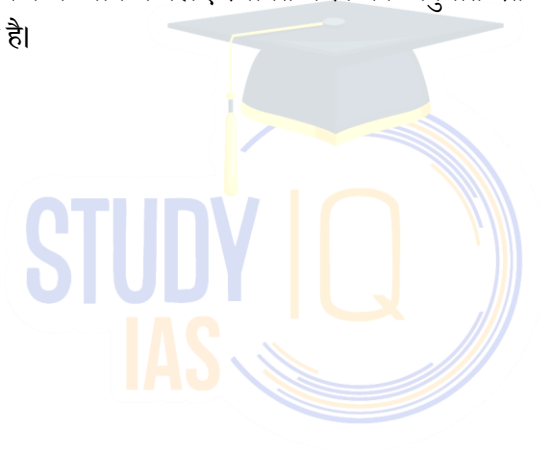
संदर्भ

भारत के सर्वोच्च न्यायालय(2025) ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों(SERCs) और वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया है कि वे सभी मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों को चार वर्षों के भीतर और नई परिसंपत्तियों को तीन वर्षों के भीतर समाप्त करें।

नियामक परिसंपत्तियां क्या हैं?

- विनियामक परिसंपत्तियां डिस्कॉम(वितरण कंपनी) द्वारा दर्ज अप्राप्य राजस्व अंतराल(unrecovered revenue gaps) हैं।
- ये तब उत्पन्न होती हैं जब विद्युत आपूर्ति की औसत लागत(ACS) (एक यूनिट बिजली उपलब्ध कराने की लागत) वार्षिक राजस्व आवश्यकता(ARR) (उपभोक्ता टैरिफ + सरकारी सब्सिडी से प्राप्त राजस्व) से अधिक हो जाती है।
- तत्काल टैरिफ वृद्धि के बजाय, राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERCs) वितरण कंपनियों को इस घाटे को नियामक परिसंपत्ति के रूप में आगे के लिए स्थगित करने की अनुमति देते हैं, जिसे भविष्य में (ब्याज सहित) वसूल किया जा सकता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों पर WHO डेटा

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) ने दो प्रमुख रिपोर्ट जारी कीं - विश्व मानसिक स्वास्थ्य आज और मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2024।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं -

- बढ़ती व्यापकता: 2021 में अनुमान लगाया गया कि वैश्विक जनसंख्या का 14% किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रस्त था।
- सबसे आम विकार: चिंता और अवसादग्रस्तता विकार सभी मानसिक स्वास्थ्य मामलों के दो-तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।
- लैंगिक असमानताएँ: महिलाएँ चिंता, अवसाद और खाने संबंधी विकारों से असमान रूप से प्रभावित।
- युवा संवेदनशीलता: लगभग 50% मानसिक विकार 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू होते हैं, जो बच्चों और किशोरों के लिए जोखिम को उजागर करता है।
- प्रणालीगत अंतराल:
 - कम निवेश: मानसिक स्वास्थ्य पर औसत सरकारी खर्च = कुल स्वास्थ्य बजट का 2%।
 - कार्यबल की कमी: प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भारी कमी।
 - उपचार अंतराल: अधिकांश देशों, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्रों में खराब सेवा कवरेज और पहुंच।

मानसिक स्वास्थ्य पर भारत की पहल -

- टेली-मानस: सभी राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी टेली-परामर्श सेवा।
- मनोदर्पण: छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 के दौरान शुरू की गई पहल, जो महामारी के बाद भी जारी रहेगी।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP): इसका उद्देश्य बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध बनाना है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।

इसके अतिरिक्त,

- SDG-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), विशेष रूप से लक्ष्य 3.4 मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा आव्रजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 अधिसूचित किया गया।

आदेश की मुख्य विशेषताएं -

पासपोर्ट/वीज़ा आवश्यकताओं से छूट:

- भारतीय सशस्त्र बल कार्मिक → जब ड्यूटी पर हों।
- भारत, नेपाल और भूटान के नागरिक → निर्दिष्ट सीमा चौकियों पर।
- तिब्बती नागरिक → वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और विशेष परमिट के साथ।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) → यदि वे 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए हों, भले ही उनके पास अमान्य/समाप्त हो चुके दस्तावेज़ हों।
- श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी → जिन्होंने 9 जनवरी 2015 को या उससे पहले भारत में पंजीकरण कराया और शरण ली।

वीज़ा छूट -

- राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट वाले विदेशी → यदि द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत आते हैं।
- वीज़ा-ऑन-अराइवल के लिए पात्र विदेशी → मौजूदा प्रावधानों के अनुसार।
- विदेशी सैन्यकर्मि → जब नौसेना के युद्धपोतों पर यात्रा कर रहे हों।

स्रोत: [हिंदू बिजनेसलाइन](#)

समाचार संक्षेप में

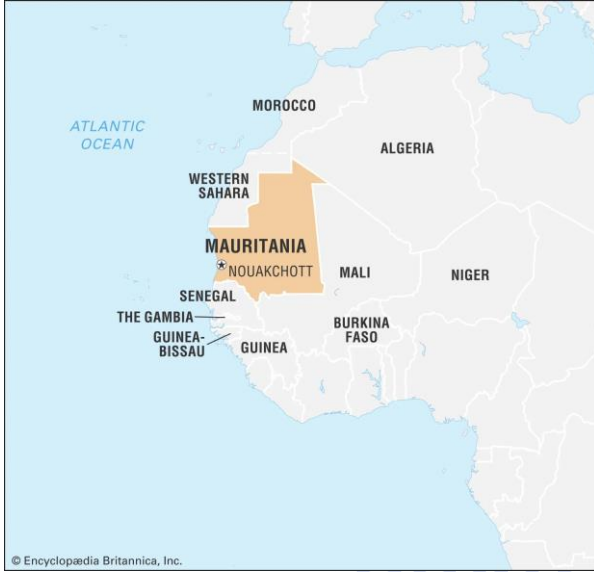
प्रतुश/PRATUSH (Probing ReionizATion of the Universe using Signal from Hydrogen)	समाचार? प्रतुश का विकास रमन अनुसंधान संस्थान (RRI) द्वारा किया जा रहा है। यह क्या है? ● चंद्र कक्षा में स्थापित किया जाने वाला रेडियोमीटर। ● उद्देश्य: कॉस्मिक डॉन (जब प्रथम तारों का निर्माण हुआ था) से प्राप्त 21 सेमी के मंद हाइड्रोजन संकेत का पता लगाना। ● चन्द्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा। ● तकनीकी: ○ एंटीना + एनालॉग रिसीवर + डिजिटल रिसीवर + FPGA चिप के साथ रेडियोमीटर। ○ नियंत्रण, अंशांकन और डेटा प्रसंस्करण के लिए सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर (SBC) (जैसे, रास्पबेरी पाई) का उपयोग करता है। संबंधित जानकारी: → SARAS(Shaped Antenna measurement of the background RAdio Spectrum): यह रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया एक भू-आधारित रेडियोमीटर प्रयोग है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय उदय और पुनर्आयनीकरण के युग से मंद 21-सेमी हाइड्रोजन संकेत का पता लगाना है। स्रोत: पीआईबी
निवेशक दीदी पहल	समाचार? निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण(IEPFA) ने निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू किया। पहल के बारे में - ● यह ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए एक वित्तीय साक्षरता पहल है। ● इसका पहला चरण नवंबर 2022 में शुरू किया गया था। ● निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से लॉन्च किया गया। ● इस पहल के अंतर्गत महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को "निवेशक दीदी" बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो स्थानीय वित्तीय शिक्षकों के रूप में कार्य करती हैं। IEPFA के बारे में - ● कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ● इसकी स्थापना निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की

	रक्षा के लिए की गई थी। स्रोत: पीआईबी
सेना स्पेक्टेबिलिस (Senna Spectabilis)	समाचार? केरल (वायनाड) ने सेना स्पेक्टेबिलिस के खिलाफ भारत का पहला विज्ञान-आधारित, समुदाय-संचालित उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। इसके बारे में - ● प्रकार: आक्रामक विदेशी पौधों की प्रजातियाँ। ● मूल स्थान: अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ● विशेषताएँ: ○ स्वरूप: मध्यम आकार का पेड़ (7-18 मीटर ऊँचा) घने फैले हुए शिखर के साथ; यह कैसिया फिस्टुला (केरल का राज्य पुष्प, कणिकोन्ना) से काफी मिलता-जुलता दिखता है। ○ आक्रामकता: ■ घनी, बंजर झाड़ियों का निर्माण करता है। ■ देशी वनस्पति को दबाता है और मिट्टी के रसायन को बदल देता है। ■ शाकाहारियों के लिए भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। आक्रामक प्रजातियाँ क्या हैं? वे गैर-देशी (विदेशी) पौधे हैं, जो एक नए क्षेत्र में (जानबूझकर या गलती से) लाए जाने के बाद, तेजी से फैलते हैं और पारिस्थितिक, आर्थिक या सामाजिक नुकसान का कारण बनते हैं। स्रोत: डीटीई
मैत्री-XIV	समाचार? मैत्री-XIV का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। अभ्यास के बारे में - ● प्रकार: भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ● प्रारंभ: दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के भाग के रूप में 2006 में पहली बार आयोजित किया गया। ● प्रकृति: भारत और थाईलैंड में प्रतिवर्ष एवं बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। ● उद्देश्य: ○ अंतरसंचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाना। ○ आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और जंगली इलाकों में। ○ व्यापक भारत-थाईलैंड रक्षा साझेदारी के तहत सैन्य-से-सैन्य सहयोग को मजबूत करना।

	स्रोत: द हिंदू
भारत में निर्मित पहली सेमीकॉन चिप - विक्रम 3201 	समाचार? विक्रम 3201 को सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया गया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में - ● पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर ○ पूर्ववर्ती 16-बिट VIKRAM1601 माइक्रोप्रोसेसर का उन्नत संस्करण। ● डिज़ाइनर: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), इसरो ● निर्मित: इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), चंडीगढ़। ● उद्देश्य: प्रक्षेपण वाहनों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में कार्य करना। स्रोत: TOI
सौर ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन (SEE)	समाचार? सोलर ऑर्बिटर(SO) ने हाल ही में सौर ऊर्जावान इलेक्ट्रॉनों(SEE) की उत्पत्ति का पता लगाया है। SEE के बारे में - ● सूर्य में उत्पन्न होने वाले उच्च-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होते हैं। ● दो प्रकार: ○ सौर ज्वालाओं से संबंधित—> सूर्य की सतह के छोटे, तीव्र भागों से होने वाले विस्फोट। ○ कोरोनल मास इजेक्शन (CME) से संबंधित—> सौर वायुमंडल से गर्म प्लाज्मा का विशाल विस्फोट। संबंधित तथ्य - ● सोलर ऑर्बिटर(SO) नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA) का एक संयुक्त मिशन है। स्रोत: डीटीई

समाचार में स्थान

मॉरिटानिया(Mauritania)



समाचार? मॉरिटानिया के तट पर एक प्रवासी नाव डूबने से 49 लोगों की मौत हो गई।

मॉरिटानिया के बारे में -

- **अवस्थिति:** उत्तर-पश्चिम अफ्रीका
- **सीमाएँ:** अटलांटिक महासागर (पश्चिम), पश्चिमी सहारा (उत्तरपश्चिम), अल्जीरिया (उत्तरपूर्व), माली (पूर्व और दक्षिणपूर्व), और सेनेगल (दक्षिणपश्चिम)।
- **राजधानी:** नौआकचोट (अटलांटिक तट पर स्थित इसका सबसे बड़ा शहर भी)।

भारत-मॉरिटानिया संबंध -

- 1960 के दशक में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी संघ साझेदारी और आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग।
- भारत लौह अयस्क और मत्स्य का आयात करता है; तथा फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, वस्त्र का निर्यात करता है।

स्रोत: [TOI](#)

मुख्य परीक्षा

25वां SCO शिखर सम्मेलन - तियानजिन

संदर्भ

हाल ही में तियानजिन में संपन्न 25वें SCO शिखर सम्मेलन में प्रमुख सुधारों को अपनाया गया, आतंकवाद की निंदा की गई तथा साझेदारी का विस्तार किया गया।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में -

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी (शंघाई फाइव समूह के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में)।
- संस्थापक सदस्य: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान
- वर्तमान SCO सदस्य देश (10): भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस।
 - भारत और पाकिस्तान 2017- अस्ताना शिखर सम्मेलन में, ईरान (2023) और बेलारूस (2024) में शामिल हुए।
 - 3 पर्यवेक्षक राज्य: अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया।
 - 14 संवाद साझेदार: अज़रबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की, श्रीलंका।
- आज, SCO विश्व की 40% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- मुख्य उद्देश्य:
 - क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना।
 - आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना।
 - वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना।
- SCO के स्थायी निकाय:
 - SCO सचिवालय (बीजिंग): सदस्यों के बीच गतिविधियों, बैठकों और संचार का समन्वय करता है।
 - क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) (ताशकंद, उज्बेकिस्तान): सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए समर्पित।



SCO-RATS: इसकी भूमिका और कार्यप्रणाली -

- क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) SCO का सुरक्षा स्तंभ है।
- कार्य:
 - आतंकवादी नेटवर्क, अलगाववादी समूहों और चरमपंथियों पर खुफिया जानकारी साझा करना।
 - संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों का समन्वय करना।
 - मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना।
- सफलताएँ: आतंकवादी समूहों और व्यक्तियों का डेटाबेस तैयार करना और “शांति मिशन” जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों का आयोजन करना।
- सीमाएँ: सदस्य अक्सर आतंकवाद की परिभाषा पर असहमत होते हैं (उदाहरण के लिए, भारत पाकिस्तान समर्थित समूहों को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि चीन कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का बचाव करता है)।

SCO के कामकाज में चुनौतियाँ -

- सदस्यों के भिन्न रणनीतिक हित:
 - भारत-चीन सीमा तनाव (डोकलाम 2017, गलवान 2020) विश्वास को कमजोर करता है।
 - भारत-पाकिस्तान विवाद अक्सर आतंकवाद और कनेक्टिविटी पर आम सहमति को पंगु बना देते हैं।
 - रूस का लक्ष्य यूरेशिया में अपनी प्रधानता बनाए रखना है, जबकि चीन BRI के माध्यम से आर्थिक प्रभुत्व कायम करना चाहता है।
- आतंकवाद-रोधी विरोधाभास: SCO-RATS खुफिया जानकारी साझा करने में प्रभावी है, लेकिन इसकी परिभाषाएँ अलग-अलग हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की "तीन बुराइयों" की एक समान व्याख्या नहीं की जाती है।
 - उदाहरण: भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की निंदा करता है, लेकिन चीन कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का बचाव करता है, तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रयासों को अवरुद्ध करता है (उदाहरण के लिए, मसूदा अजहर को सूचीबद्ध करना)।
- चीन का आर्थिक प्रभुत्व: SCO के चीन-केंद्रित मंच बनने का खतरा, जिससे सदस्यों के बीच समानता खत्म हो जाएगी।
 - उदाहरण: चीन की पहल (BRI, SCO बैंक प्रस्ताव) छोटे सदस्यों पर भारी पड़ रही है।
- अति विस्तार और कमजोरीकरण: अधिक विविध हितों के साथ आम सहमति से निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
 - उदाहरण: ईरान के प्रवेश और तुर्की की सदस्यता की मांग के कारण, SCO के एक भीड़भाड़ वाले, असंगत मंच बनने का खतरा है।
- भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण: SCO को एक पश्चिमी-विरोधी गुट के रूप में देखा जा रहा है, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा। क्वाड/अमेरिका साझेदारी और SCO प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है।
- संस्थागत कमजोरियाँ: SCO में मजबूत प्रवर्तन या बाध्यकारी तंत्र का अभाव है।

- **उदाहरण:** कोई स्थायी विवाद समाधान मंच नहीं - घोषणाओं से परे प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

आगे की राह -

- **RATS और आतंकवाद-रोधी सहमति को मजबूत करना:** चयनात्मक अनुप्रयोग से बचने के लिए आतंकवाद की सामान्य परिभाषा विकसित करना। साइबर आतंकवाद, नार्को-आतंकवाद और कट्टरपंथी वित्तपोषण को शामिल करने के लिए RATS अधिदेश का विस्तार करना।
- **आर्थिक और सुरक्षा एजेंडे में संतुलन:** SCO पर चीन के BRI दृष्टिकोण का प्रभुत्व न होने देना। व्यापक स्वीकृति के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- **संस्थागत सुधार:** आतंकवाद और संपर्क जैसे क्षेत्रों में बाध्यकारी समाधानों की दिशा में आगे बढ़ना। बेहतर समन्वय के लिए सचिवालय को मजबूत बनाना।
- **संवाद के माध्यम से विश्वास का निर्माण:** प्रतिद्वंद्वियों (भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान) के बीच विश्वास-निर्माण मंच के रूप में SCO का उपयोग करें। सीमा और आतंकवाद के मुद्दों पर बैकचैनल कूटनीति को प्रोत्साहित करना।
- **नियंत्रित विस्तार:** सुनिश्चित करना कि भविष्य में विस्तार (तुर्की, अफ़गानिस्तान, आदि) SCO के फोकस को कमजोर न करे। एकजुटता बनाए रखने के लिए सदस्यता के मानदंड अपनाना।
- **पश्चिम-विरोधी विचारधारा से आगे बढ़ें:** SCO को केवल नाटो या अमेरिकी गठबंधनों के प्रतिकार के रूप में देखे जाने से बचना चाहिए। समावेशी बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग को बढ़ावा दें।

भारत के लिए SCO का महत्व -

- **आतंकवाद-रोधी मंच:** पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए RATS डेटाबेस और खुफ़िया जानकारी साझा करना बेहद ज़रूरी है। संयुक्त अभ्यास भारत की तैयारी को मजबूत करते हैं।
- **मध्य एशिया तक पहुँच:** भारत की मध्य एशिया से जुड़ने की नीति को शंघाई सहयोग संगठन में एक बहुपक्षीय मंच प्राप्त हुआ है। इससे भौगोलिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी (क्योंकि भारत के पास सीधी भूमि पहुँच का अभाव है, क्योंकि पाकिस्तान मार्ग अवरुद्ध कर रहा है)।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** मध्य एशिया (कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान) में तेल, गैस और यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। SCO भारत को तापी पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है।
- **चीन और पाकिस्तान में संतुलन:** SCO यह भारत को दोनों देशों के समक्ष सीधे तौर पर अपनी चिंताएं उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **सामरिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता:** भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में रूस और चीन के साथ जुड़ता है और साथ ही अमेरिका, क्वाड और आईपीईएफ के साथ संबंधों को भी गहरा करता है। यह वैश्विक भू-राजनीति में एक संतुलनकर्ता के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करता है।
- **वैश्विक दक्षिण की आवाज़:** भारत जलवायु परिवर्तन, डिजिटल समावेशन, खाद्य सुरक्षा और समतामूलक वैश्वीकरण जैसे मुद्दों को उजागर करने के लिए SCO का उपयोग करता है। इससे विकासशील देशों के बीच विश्वसनीयता बढ़ती है।

तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन से मुख्य निष्कर्ष -

प्रमुख पहल और घोषणाएँ

- **आतंकवाद की कड़ी निंदा:** सभी 10 सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की तथा आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों को समाप्त करने का आह्वान किया।
 - **विशिष्ट संदर्भ:** पहलगाम हमला और पाकिस्तान में 2 अन्य हमले।

महत्व:

- पहली बार SCO नेताओं की घोषणा में पहलगाम हमले का स्पष्ट उल्लेख किया गया, जबकि रक्षा मंत्रियों की क्लिंगदाओ बैठक (जून 2025) में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।
- यह कूटनीतिक लाभ है, हालांकि इसमें पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया।

- **वैश्विक शासन पहल (GGI) -** चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित, वैश्विक दक्षिण को प्राथमिकता देते हुए अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए विजना।

मुख्य स्तंभ:

- **संप्रभु समानता:** सभी देशों को, चाहे उनका आकार या धन कुछ भी हो, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
- **कानून का शासन:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सख्त पालन; दोहरे मानदंडों का विरोध।
- **बहुपक्षवाद:** संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करना, एकपक्षवाद का विरोध करना।
- **निष्पक्षता और न्याय:** शीत युद्ध की मानसिकता, धौंस-धमकी का विरोध करना और बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देना।

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग रोडमैप:** तियानजिन घोषणापत्र ने एआई में संयुक्त प्रयासों की पुष्टि की:

- **सिद्धांत:** एआई को विकसित करने और उपयोग करने, जोखिमों को न्यूनतम करने, जवाबदेही बढ़ाने के समान अधिकार।
- **पहल:** एआई सहयोग केंद्र का प्रस्ताव और ओपन-सोर्स एआई मॉडल को बढ़ावा देना।
- **चुनौती:** ओपन-सोर्स एआई के सीमा-पार उपयोग को विनियमित करना।

- **SCO विकास बैंक के लिए प्रस्ताव:**

- **उद्देश्य:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और एक वित्तीय विकल्प तैयार करना। एआईआईबी (2014) से प्रेरित।
- **चीन ने वचन दिया:**
 - SCO सदस्यों के लिए 2 बिलियन युआन (280 मिलियन डॉलर) की निःशुल्क सहायता।
 - अगले तीन वर्षों में 10 बिलियन युआन (1.4 बिलियन डॉलर) का ऋण दिया जाएगा।

- **SCO के भीतर संस्थागत विकास:**

- पर्यवेक्षक एवं संवाद साझेदार का दर्जा एक ही श्रेणी में विलय कर दिया गया है: साझेदार का दर्जा।
- लाओस को नए साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 27 हो गई (10 सदस्य + 17 साझेदार)।

- **एकता और एकजुटता:** राष्ट्रपति शी ने सदस्यों से “मतभेदों को दूर रखते हुए साझा आधार तलाशने” और वैश्विक अशांति के बीच SCO की एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान किया।

प्रमुख कार्य -

- **भारत-चीन संबंध:** 7 साल में चीनी धरती पर पहली मोदी-शी मुलाकात। दोनों ने "प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार" के रूप में कार्य करने का संकल्प लिया।
- **शी-पुतिन-मोदी ट्रोइका:**
 - **प्रतीकात्मक संकेत:** तीन नेता एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एशियाई शक्तियों की एकता को दर्शाते हुए।
 - **रूस के लिए:** SCO एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन अलग-थलग नहीं हैं।
 - **भारत के लिए:** अमेरिका से परे **रणनीतिक विकल्पों** का संकेत देने का अवसर
- **भारत-रूस वार्ता:** राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ विश्वास और मित्रता पर जोर दिया।

तियानजिन में भारत का रणनीतिक संदेश

- **“S, C, O”** के माध्यम से क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया - जो सुरक्षा, संपर्क और अवसर का प्रतीक है।
 - **Security(सुरक्षा)** → आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा स्थिरता।
 - **Connectivity(सम्पर्क)** → मध्य एशिया लिंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा।
 - **Opportunity (अवसर)** → व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी।
- भारत का रुख समर्थनपूर्ण लेकिन सतर्क था:
 - एआई सहयोग और व्यापार विस्तार का समर्थन किया।
 - संप्रभुता को कमजोर करने वाली किसी भी पहल का विरोध किया (जैसे, **BRI** परियोजनाएं - समर्थन वापस लेने वाला एकमात्र **SCO** सदस्य)।
- भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में प्रस्तुत किया जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बहुपक्षवाद को कायम रखता है।
- भारत ने तियानजिन घोषणापत्र में ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा करने में अन्य SCO सदस्य देशों का साथ दिया।

तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन 2025 तात्कालिक सफलताओं से कम और प्रतीकात्मकता व दीर्घकालिक आख्यान से ज्यादा जुड़ा था। चीन ने इसका इस्तेमाल वैश्विक शासन पहल को आगे बढ़ाने के लिए किया, रूस ने इसका इस्तेमाल अलगाव के खिलाफ अपनी क्षमता दिखाने के लिए किया, जबकि भारत ने आतंकवाद, संप्रभुता और नैतिक तकनीक पर जोर देते हुए सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखा।

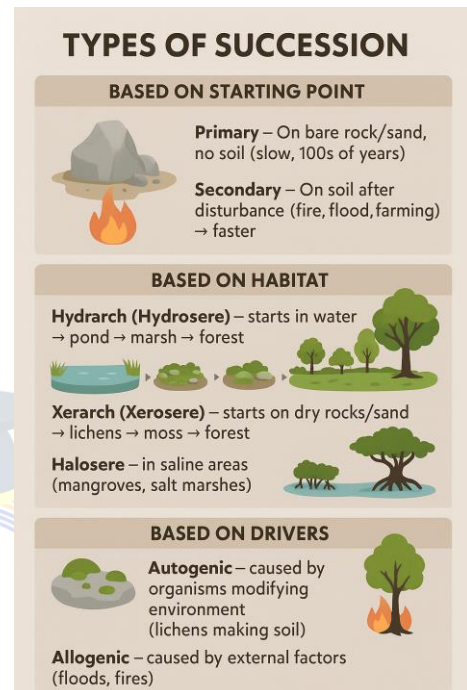
बदलती जलवायु में पारिस्थितिक उत्तराधिकार

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन भारत के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में पारिस्थितिक उत्तराधिकार के प्राकृतिक पैटर्न को तेजी से बाधित कर रहा है, जिसके कारण ऐसी पुनर्स्थापना रणनीतियों की आवश्यकता है जो बढ़ते तापमान, परिवर्तित वर्षा और आक्रामक प्रजातियों के विरुद्ध लचीलापन पैदा करें।

पारिस्थितिक उत्तराधिकार क्या है?

- पारिस्थितिक उत्तराधिकार समय के साथ प्रजातियों की संरचना और सामुदायिक संरचना में पूर्वानुमानित परिवर्तनों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र का क्रमिक और प्राकृतिक परिवर्तन है।
- प्रक्रिया:
 - यह अग्रणी प्रजातियों (लाइकेन, मॉस) द्वारा बंजर क्षेत्रों में बसने से शुरू होती है।
 - बढ़ती जटिलता के साथ मध्यवर्ती (सीरल) चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है।
 - यह एक चरमोत्कर्ष समुदाय के साथ समाप्त होता है - स्थिर, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें दीर्घजीवी प्रजातियों का प्रभुत्व होता है।
- महत्व: यह पारिस्थितिकी तंत्र को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट) और मानवीय व्यवधानों (लकड़ी काटना, वनों की कटाई) के बाद पुनरुद्धार संभव होता है।
- उत्तराधिकार के चरण:
 - नगनीकरण - नंगे क्षेत्र का निर्माण (लावा, बाढ़, ग्लेशियर)।
 - अग्रणी चरण - कठोर प्रजातियाँ (लाइकेन, कार्प, घास) पहले आती हैं।
 - क्रमिक अवस्थाएँ - झाड़ियाँ, छोटे पेड़, बड़े पेड़ धीरे-धीरे स्थापित होते हैं।
 - चरमोत्कर्ष समुदाय - स्थिर, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र (जैसे, वन, मैंग्रोव)।



जलवायु परिवर्तन किस प्रकार उत्तराधिकार को बाधित कर रहा है

- बार-बार होने वाली गड़बड़ी: बार-बार आग, बाढ़ और तूफान उत्तराधिकार को “रीसेट” करते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र चरम अवस्था तक पहुंचने से रुक जाता है।
- फेनोलॉजिकल बदलाव: पुष्पन और परागण का समय अब संरेखित नहीं होता, जिससे पुनर्जनन कमजोर हो जाता है।
- मृदा एवं जल तनाव: वर्षा, लवणता और तापमान में परिवर्तन देशी प्रजातियों के अस्तित्व में बाधा डालते हैं।
- आक्रामक प्रजातियाँ: विक्षुब्ध आवासों पर कठोर आक्रामक प्रजातियों (लैंटाना कैमरा, अकेशिया प्रजातियाँ, टेरिडियम एक्विलिनम) का कब्जा हो जाता है, जो प्राकृतिक पुनर्जनन को अवरुद्ध कर देती हैं।

- **प्रभाव:** जैव विविधता, कार्बन भंडारण और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन की हानि।

भारत के प्रमुख जैवभौगोलिक क्षेत्रों पर प्रभाव

हिमालय में पारिस्थितिक उत्तराधिकार

- **वृक्ष रेखा में बदलाव:** बढ़ते तापमान के कारण, ऊपरी सीमा जहां पेड़ उग सकते हैं (वृक्ष रेखा) पहाड़ों की ओर बढ़ रही है।
- **ओक की कमी:** बेंज ओक (क्वेरकस ल्यूकोट्रिचोफोरा), एक देर से आने वाली और स्थिर वन प्रजाति है, जो मानवीय दबाव (चराई, लकड़ी काटना) और लगातार आग लगने के कारण पुनर्जीवित होने के लिए संघर्ष कर रही है।
- **चीड़ का विस्तार:** ओक के स्थान पर, चिर पाइन और घास जैसी प्रारंभिक अवस्था वाली प्रजातियां, जो तनाव को सहन कर लेती हैं, फैल रही हैं।
- **प्रजातियों का प्रवास:** एबीस स्पेक्टेबिलिस (पूर्वी हिमालयी देवदार), रोडोडेंड्रोन कैम्पानुलैटम और बेतुला यूटिलिस (हिमालयी सन्टी) जैसी उच्च ऊंचाई वाली प्रजातियां ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रही हैं।
- **प्रभाव:**
 - समृद्ध जैव विविधता को सहारा देने वाली दृढ़ लकड़ी (ओक, बर्च) घट रही है।
 - अनेक पक्षियों और स्तनधारियों के आवास का नुकसान।
 - हिमालयी जीवों के प्रवास और आहार पैटर्न में परिवर्तन।

सुंदरबन में पारिस्थितिक उत्तराधिकार

- **लवणता तनाव:** समुद्र-स्तर में वृद्धि और वर्षा में कमी के कारण मिट्टी अधिक लवणीय हो रही है।
- **सामान्य उत्तराधिकार :** नमक-सहिष्णु अग्रदूत (एविसेनिया ऑफिसिनेलिस) आमतौर पर हेरिटिएरा फोमेष (सुंदरी) जैसे कम नमक-सहिष्णु चरमोत्कर्ष मैंग्रोव के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- **वर्तमान में व्यवधान:** उच्च लवणता अग्रदूतों के लिए अनुकूल है, लेकिन सुंदरी वृक्ष घट रहे हैं।
- **प्रभाव:**
 - मैंग्रोव वन चक्रवातों के प्रति अपनी लचीलापन खो देते हैं।
 - बायोमास और कार्बन भंडारण में कमी आती है।
 - विविध मैंग्रोव पर निर्भर रहने वाली मछलियाँ, झींगे और केकड़े प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान खो देते हैं।

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक उत्तराधिकार

- **आग लगने की आवृत्ति बढ़ रही है:** पहले आग घास के मैदानों और जंगलों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगाई जाती थी। लेकिन अब, बार-बार लगने वाली आग जंगलों को परिपक्व होने से रोक रही है।
- **अवरुद्ध पुनर्जनन:** प्रत्येक आग में देर से आने वाले दृढ़ लकड़ी के पेड़ों के पौधे मर जाते हैं, इसलिए चरमोत्कर्ष वन नहीं बन पाते।
- **आक्रामक अधिग्रहण:** विक्षुब्ध भूदृश्यों पर लैंटाना कैमरा, अकेशिया (वेटल) और टेरिडियम एक्विलिनम (फर्न) जैसी आक्रामक प्रजातियां शीघ्रता से अपना आबाद कर लेती हैं।

● **प्रभाव:**

- देशी वनों का स्थान आक्रामक-प्रधान झाड़ियों ने ले लिया है।
- हाथी और गौर जैसे जंगली शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन कम हो गया।
- मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता में गिरावट आती है।
- दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण।

आगे की राह: पारिस्थितिक उत्तराधिकार में जलवायु-संचालित व्यवधानों से निपटना

- **उत्तराधिकार-सूचित पुनर्स्थापन:** प्राकृतिक उत्तराधिकार पथों के अनुरूप पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करें, न कि तेजी से बढ़ने वाली एकल फसलों को लगाकर।
 - स्थानीय परिस्थितियों और क्रमिक चरणों के अनुकूल देशी, जलवायु-सहिष्णु प्रजातियों का उपयोग करें।
- **निष्क्रिय पुनर्स्थापन को बढ़ावा देना:** जहाँ तक संभव हो, पारिस्थितिक तंत्रों को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने दें। सक्रिय पुनर्स्थापन का प्रयोग केवल अत्यधिक क्षतिग्रस्त या उच्च जोखिम वाले स्थानों पर ही करें।
- **आक्रामक प्रजातियों और व्यवधानों का प्रबंधन करना:** आग और चराई प्रबंधन के माध्यम से लैंडाना और बबूल जैसी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करें। पारिस्थितिक तंत्र को बार-बार प्रारंभिक अवस्था में लौटने से रोके।
- **जलवायु-अनुकूल योजना:** वृक्ष-रेखा में बदलाव, लवणता में वृद्धि और वर्षा में बदलाव का पूर्वानुमान लगाएँ। संवेदनशील चरमोत्कर्ष प्रजातियों (जैसे, हिमालयी ओक, सुंदरबन की सुंदरी) के लिए सहायक प्रवास का उपयोग करना।
- **फेनोलॉजी-संरक्षित क्रियाएं:** बेमेल से बचने के लिए स्थानीय पुष्पन, परागण और बीज फैलाव चक्रों के साथ समय की बहाली।
- **भूदृश्य और जलग्रहण दृष्टिकोण:** मृदा, जल और संपर्कता को बनाए रखने के लिए वनों, आर्द्रभूमि, नदियों और घास के मैदानों को एकीकृत तरीके से पुनर्स्थापित करना।
- **निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी:** अनुकूली प्रबंधन के लिए उत्तराधिकार चरणों, आक्रामक प्रसार और वृक्ष रेखा में बदलाव को ट्रैक करने के लिए उपग्रहों, ड्रोन और एआई का उपयोग करना।
- **समुदाय-आधारित संरक्षण:** स्थानीय और जनजातीय समुदायों को आग, चराई और आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाना।
 - आजीविका को संरक्षण (पारिस्थितिकी पर्यटन, मैंग्रोव मत्स्य पालन, कृषि वानिकी) से जोड़ें।
- **नीति पुनर्चना:** कार्बन-केंद्रित वनीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित पुनर्स्थापन की ओर बदलाव। वन, तटीय और जैव विविधता नीतियों में पारिस्थितिक उत्तराधिकार को एकीकृत करें।

पारिस्थितिक उत्तराधिकार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और लचीलेपन का इंजन है, फिर भी जलवायु परिवर्तन और मानवीय व्यवधान नाजुक क्षेत्रों में प्राकृतिक मार्गों को पटरी से उतार रहे हैं। इसलिए भारत की संरक्षण रणनीतियों को वृक्षारोपण से आगे बढ़कर पारिस्थितिक रूप से सूचित पुनर्स्थापन की ओर बढ़ना होगा जो देशी प्रजातियों, उत्तराधिकार के प्राकृतिक चरणों और स्थानीय संदर्भों का सम्मान करता हो।

स्रोत: [मोंगावे](#)